न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—153 / 2014 संस्थित दिनांक—दिनांक 09 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर	
जिला बालाघाट म.प्र.	अभियोजन
<u>विरुद्ध</u> अविशेक गुप्ता पिता जयप्रकाश गुप्ता, उम्र	30 साल,
निवासी—404 गनपति नगर, गोदनी रोड, थ	
जिला बालाघाट म.प्र.	आरोपी

<u>निर्णय</u> (आज दिनांक—09 दिसम्बर 2014 को घोषित)

निष्कर्षा

आरोपी की स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया है। अतः आरोपी के द्वारा व्यक्त स्वैच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा—279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपी को उक्त दोषसिद्धि हेतु धारा—279, 337 भारतीय दण्ड विधान में क्रमशः 1000/— एक हजार रूपये, 500/— पांच सौ रूपये कुल 1500/— एक हजार पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में

व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को उपरोक्त धाराओं में क्रमशः 15 दिवस, 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन महिन्द्रा लोगन पंजीयन क्रमांक—एम.एच. 31 सी.आर.4577 को रजिस्टर्ड स्वामी को मय दस्तावेज के वापस किया जावे।

ATTHER AT LANGUE AND A LANGUE A

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट